भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 168**

जिसका उत्तर सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

## नाबार्ड द्वारा किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं

168. श्री रामप्रीत मंडल:
श्री दिनेश चंद्र यादवः
श्रीमती लवली आनंदः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में किसानों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कौन-कौन सी योजना कार्यान्वित की हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा बिहार में जिला-वार कितनी धनराशि वितरित की गई;

(ग) क्या सरकार का किसानों के कल्याण के लिए कोई अन्य योजना लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

**(क) से (ख):** नाबार्ड बिहार में किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

i. ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों, पुलों, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज आदि जैसे बुनियादी ढांचे की स्थापना।

ii. वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ), जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ), कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (एफएसपीएफ) आदि के माध्यम से कृषि क्षेत्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए अनुदान सहायता।

iii. उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ) और केंद्रीय क्षेत्र योजना–10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन(सीएसएस-एफपीओ) के अतर्गत अनुदान सहायता।

iv. कृषि उपज की खरीद और विपणन के लिए सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान करना

v. ब्याज की रियायती दरों पर कृषि ऋण के प्रावधान के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता

vi. किसानों के लिए वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन के लिए अनुदान सहायता

बिहार में पिछले तीन वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा संवितरित निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दर्शाया गया है।

**(ग) से (घ):** सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित की हैं अर्थात् किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के माध्यम से समय पर ऋण, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के माध्यम से किसानों को आय सहायता, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवरेज का विस्तार करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई निधि, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहन, नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन (एनबीएचएम), कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ), नमो ड्रोन दीदी स्कीम आदि।

*****

अनुबंध – I

**I. ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआडीएफ)**

**(राशि करोड़ रुपए में)**

| **पिछले 03 वर्षों (2021-22 से 2023-24) में आरआईडीएफ के अंतर्गत बिहार में संवितरित की गई जिलावार धनराशि** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **जिला** | **वित्तीय वर्ष2021-22** | **वित्तीय वर्ष 2022-23** | **वित्तीय वर्ष 2023-24** |
| 1 | अररिया | 34.37 | 28.02 | 77.06 |
| 2 | अरवल | 7.57 | 18.21 | 21.94 |
| 3 | औरंगाबाद | 23.27 | 44.03 | 21.87 |
| 4 | बांका | 3.32 | 19.60 | 23.92 |
| 5 | बेगूसराय | 20.59 | 20.52 | 19.12 |
| 6 | भागलपुर | 19.35 | 29.24 | 12.46 |
| 7 | भोजपुर | 36.90 | 28.26 | 48.79 |
| 8 | बक्सर | 17.18 | 13.36 | 8.83 |
| 9 | दरभंगा | 48.73 | 103.84 | 106.46 |
| 10 | गया | 1,366.62 | 78.59 | 260.72 |
| 11 | गोपालगंज | 9.27 | 4.65 | 90.67 |
| 12 | जमुई | 14.88 | 13.18 | 15.63 |
| 13 | जहानाबाद | 25.99 | 39.51 | 19.35 |
| 14 | कैमूर | 26.00 | 44.94 | 54.33 |
| 15 | कटिहार | 30.88 | 48.83 | 82.55 |
| 16 | खगरिया | 24.71 | 27.45 | 29.28 |
| 17 | किशनगंज | 17.14 | 34.40 | 114.19 |
| 18 | लखीसराय | 6.24 | 16.10 | 37.37 |
| 19 | मधेपुरा | 9.31 | 13.40 | 27.60 |
| 20 | मधुबनी | 21.91 | 20.04 | 41.44 |
| 21 | मुंगेर | 11.07 | 20.99 | 11.85 |
| 22 | मुजफ्फरपुर | 39.25 | 15.93 | 35.74 |
| 23 | नालन्दा | 37.70 | 38.40 | 37.54 |
| 24 | नवादा | 24.61 | 18.09 | 17.35 |
| 25 | पश्चिमी चंपारण | 64.69 | 40.79 | 71.23 |
| 26 | पटना | 63.32 | 94.95 | 82.13 |
| 27 | पूर्वीचंपारण | 30.19 | 130.06 | 126.23 |
| 28 | पूर्णिया | 70.67 | 57.31 | 50.78 |
| 29 | रोहतास | 104.64 | 76.99 | 50.49 |
| 30 | सहरसा | 21.12 | 11.29 | 42.64 |
| 31 | समस्तीपुर | 49.42 | 64.57 | 105.89 |
| 32 | सारण | 16.88 | 30.26 | 16.10 |
| 33 | शेखपुरा | 18.34 | 14.14 | 13.33 |
| 34 | शिवहर | 6.66 | 7.15 | 6.92 |
| 35 | सीतामढ़ी | 44.77 | 30.35 | 70.59 |
| 36 | सिवान | 2.75 | 8.84 | 29.42 |
| 37 | सुपौल | 3.57 | 11.25 | 17.34 |
| 38 | वैशाली | 26.11 | 11.52 | 34.61 |
| **कुल** | | **2399.99** | **1329.05** | **1933.76** |

**II. विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र विकास सहायता के अंतर्गत अनुदानों का संवितरण**

| क्र. सं. | जिला | संवितरित राशि (करोड़ रुपए) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
| 1 | अररिया | 1.31 | 0.08 | 0.09 |
| 2 | अरवल | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 3 | औरंगाबाद | 0.64 | 0.94 | 0.46 |
| 4 | बांका | 15.39 | 1.99 | 2.26 |
| 5 | बेगूसराय | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | भागलपुर | 0.23 | 0.35 | 0.36 |
| 7 | भोजपुर | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 8 | बक्सर | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | दरभंगा | 0.00 | 0.16 | 0.21 |
| 10 | गया | 9.05 | 2.26 | 3.63 |
| 11 | गोपालगंज | 0.23 | 0.00 | 0.25 |
| 12 | जमुई | 9.54 | 2.28 | 2.52 |
| 13 | जहानाबाद | 0.40 | 0.51 | 0.44 |
| 14 | कैमूर | 5.05 | 1.54 | 1.44 |
| 15 | कटिहार | 0.25 | 0.52 | 0.60 |
| 16 | खगरिया | 0.14 | 0.19 | 0.00 |
| 17 | किशनगंज | 3.97 | 0.92 | 0.53 |
| 18 | लखीसराय | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | मधेपुरा | 0.19 | 0.10 | 0.21 |
| 20 | मधुबनी | 0.35 | 0.28 | 0.51 |
| 21 | मुंगेर | 1.59 | 1.56 | 2.39 |
| 22 | मुजफ्फरपुर | 0.23 | 0.54 | 0.68 |
| 23 | नालन्दा | 0.38 | 0.49 | 0.56 |
| 24 | नवादा | 1.87 | 0.82 | 1.60 |
| 25 | पश्चिमी चंपारण | 0.47 | 1.45 | 0.36 |
| 26 | पटना | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 27 | रोहतास | 1.58 | 0.36 | 1.20 |
| 28 | सहरसा | 0.55 | 0.41 | 0.49 |
| 29 | समस्तीपुर | 0.28 | 0.28 | 0.42 |
| 30 | सारण | 0.75 | 0.31 | 0.49 |
| 31 | सीतामढ़ी | 0.27 | 0.34 | 0.17 |
| 32 | सिवान | 0.34 | 0.98 | 0.82 |
| 33 | सुपौल | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 34 | पूर्णिया | 0.19 | 0.00 | 0.04 |
| 35 | वैशाली | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | पूर्वी चंपारण | 2.76 | 0.34 | 3.49 |
| **कुल** | | **58.74** | **20.05** | **26.63** |

**III. अन्य**

**(क) बैंकों को नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक)**

(राशि करोड़ रुपए में)

| उत्पाद | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|
| अल्पावधि पुनर्वित्त | 1,160.95 | 1,240 | 2,300 |
| दीर्घावधि पुनर्वित्त | 3,813.87 | 3,647.45 | 2,389.52 |

**(ख) बिहार में सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता के अंतर्गत नाबार्ड की सहायता**

| (राशि करोड़ रुपए में) | | | |
|---|---|---|---|
| **उत्पाद** | **वित्तीय वर्ष 2021-22** | **वित्तीय वर्ष 2022-23** | **वित्तीय वर्ष 2023-24** |
| सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता | 2,463.00 | 2,346.91 | 4,051.00 |

**(ग) वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम**

(राशि करोड़ रुपए में)

| वर्ष | वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम | मोबाइल एटीएम वैन, माइक्रो एटीएम, भीम यूपीआई आदि जैसे अन्य मध्यवर्तीयों के लिए सहायता | कुल संवितरण |
|---|---|---|---|
| **वित्तीय वर्ष 2023-24** | 5.81 | 1.29 | 7.09 |
| **वित्तीय वर्ष 2022-23** | 3.69 | 0.34 | 4.03 |
| **वित्तीय वर्ष 2021-22** | 4.16 | 3.48 | 7.64 |

*****